

# मध्यप्रदेश विधान सभा



**सितम्बर, 2022 सत्र**  
**गुरुवार, दिनांक 15 सितम्बर, 2022 की अनुपूरक कार्य सूची**

**आज की कार्यसूची के पद 7 “शासकीय विधि विषयक कार्य” के उप पद 11 के पश्चात् निम्नानुसार जोड़कर पढा जाए :-**

**निर्धारित  
समय**

(12) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(13) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(14) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

**25 मि.**

(15) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 10 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**20 मि.**

(16) डॉ. (कुंवर) विजय शाह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 11 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**30 मि.**

(17) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 12 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**45 मि.**

(18) श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 13 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(19) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 15 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(20) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(21) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 17 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(22) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(23) श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी (बालिका प्रोत्साहन) संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

**भोपाल :**  
**दिनांक : 15 सितम्बर, 2022.**

**ए. पी. सिंह,**  
**प्रमुख सचिव,**  
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**